संख्या-159/2022/2841/22-2-2022-17(1084)/2022 टी0सी0

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 अक्टूबर, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जंगली यादव उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री राधा यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30299/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-24-09-2022) दिनांक-24-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जंगली यादव उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री राधा यादव, ग्राम-ताड़ी घाट, थाना-सुहवल, जनपद-गाजीपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.1993 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर भाई के इनकाउण्टर का बदला लेने के उद्देश्य से कट्टा व बम से हमला करके जितेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-102/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के आदेश दिनांक 22.02.1997 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.09.2022 तक 27 वर्ष 02 माह की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 01 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 46 वर्ष 01 माह 20 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, आपराधिक मानसिकता का होने तथा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, उम्र कम होने, अपराध करने में सक्षम होने, पुन: अपराध करने से रोकने एवं अपराधिक प्रवृत्ति के निरोध हेतु बन्दी को आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा दिनांक 21.09.2022 तक अपरिहार 27 वर्ष 02 माह तथा सपरिहार 32 वर्ष, 01 माह, 03 दिन की भोगी गयी अधिक लम्बी सजावधि, जेल आचरण संतोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जंगली यादव उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री राधा यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-544/1997 जंगली उर्फ ओम प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2022, आदेश दिनांक 23.09.2022 एवं आदेश दिनांक 28.09.2022 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जनपदीय अधिकारियों (जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक व जिला प्रोबेशन अधिकारी) द्वारा प्रश्नगत बन्दी को समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सिद्धदोष बन्दी जंगली यादव उर्फ ओम प्रकाश (बन्दी संख्या-42161) पुत्र श्री राधा यादव, निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत मुक्ति का पात्र नहीं पाते हुए उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-159/2022/2841(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5-श्री एन0 के0 श्रीवास्तव, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रश्नगत क्रिमिनल अपील संख्या-544/1997 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में।
6- श्री पतंजलि मिश्रा, अपर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रश्नगत क्रिमिनल अपील संख्या-544/1997 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में।
7- वरिष्ठ अधीक्षक/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-159/2022/2841/22-2-2022-17(1084)/2022 टी0सी0

दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जंगली यादव उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री राधा यादव, ग्राम-ताड़ी घाट, थाना-सुहवल, जनपद-गाजीपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.01.1993 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर भाई के इनकाउण्टर का बदला लेने के उद्देश्य से कट्टा व बम से हमला करके जितेन्द्र नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-102/1993 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के आदेश दिनांक 22.02.1997 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.09.2022 तक 27 वर्ष 02 माह की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 01 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा आयु 46 वर्ष 01 माह 20 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, आपराधिक मानसिकता का होने तथा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, उम्र कम होने, अपराध करने में सक्षम होने, पुन: अपराध करने से रोकने एवं अपराधिक प्रवृत्ति के निरोध हेतु बन्दी को आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा दिनांक 21.09.2022 तक अपरिहार 27 वर्ष 02 माह तथा सपरिहार 32 वर्ष, 01 माह, 03 दिन की भोगी गयी अधिक लम्बी सजावधि, जेल आचरण संतोषजनक होने, बन्दी का अभिभावक बन्दी को संरक्षण में रखने में उपयुक्त होने, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारी, गाजीपुर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आख्या अंकित न किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जंगली यादव उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री राधा यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की है।

जनपदीय अधिकारियों (जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक व जिला प्रोबेशन अधिकारी) द्वारा प्रश्नगत बन्दी को समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।